

पत्रांक : 1042 / आयु०क०उत्तराखण्ड/धारा-57 अनु०/वाणि०कर/2016-17/देहरादून।
कार्यालयः—आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(धारा-57, अनुभाग)
देहरादून: दिनांक: 30, मई, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या - 12/26.08.15
द्वारा - सर्वश्री अरविन्द कैमिकल्स, ए-१, सत्यम अपार्टमेन्ट,
नन्दा की चौकी (लोअर कोल्हूपानी) प्रेमनगर, देहरादून।
उपस्थिति - श्री केशव बहुगुणा, अधिवक्ता फर्म।
निर्णय का दिनांक - 30.05.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना सर्वश्री अरविन्द कैमिकल्स, सत्यम अपार्टमेन्ट, नन्दा की चौकी (लोअर कोल्हूपानी) प्रेमनगर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि फर्म द्वारा SHELLAC/LAC (लाख) पाउडर की खरीद एवं बिक्री की जाती है। प्रार्थी द्वारा SHELLAC को कृषि एवं वनोत्पाद तथा Resin माने जाने के दृष्टिगत उक्त उत्पाद के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में कर की दर स्पष्ट नहीं होने के कारण SHELLAC/LAC (लाख) पाउडर पर कर की दर को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी है :-

“ सम्बन्धित प्रश्न असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-३ हरिद्वार के उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम 2005 की धारा 25(7) के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 30.06.2015 को दिए गए आदेश से उत्पन्न हुआ है। अतः उक्त प्रश्न उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।”

धारा-57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को श्री केशव बहुगुणा, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा SHELLAC/LAC (लाख) पाउडर की बिक्री की जाती है, जो कुसुम/पलाश एवं बेर के पेड़ों पर लगने वाले कीड़ों द्वारा उत्पादित किया जाता है। Indian Institute of Natural Resin & Gums Namkum Ranchi द्वारा भी उक्त उत्पाद को कृषि एवं वन उत्पाद माना है। इसके अतिरिक्त Wikipedia में भी SHELLAC का बायोलॉजिकल नाम Resin उल्लिखित है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत उपस्थित फर्म अधिवक्ता द्वारा SHELLAC पर कर की दर को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

धारा-57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रस्तुत मत, धारा-57 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा सुनवाई के समय प्रार्थी द्वारा रखे गये तर्कों पर विचार किया गया।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-57 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्राविधानित किया गया है कि “ कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा।”

०।८

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि SHELLAC/LAC (लाख) पाउडर पर करदेयता सम्बन्धी प्रश्न असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-3 हरिद्वार के उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25(7) के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 30.06.2015 को दिए गए आदेश से उत्पन्न हुआ है।

अतः आवेदन कर्ता द्वारा प्रश्नगत मामले में पूछा गया प्रश्न उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-57 की उपधारा (4) के प्राविधान के अनुपालन में ग्राह्य नहीं है।

तदनुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक-पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

प्र०प०सं० 1042/ दिनांक : उक्त |

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
- 3- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन।
- 4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०/प्रव०) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुडकी/काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 6- श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 7- असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-9, देहरादून।
- 8- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 9- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- 10- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
- 11- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
- 12- विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड